

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
 अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
 पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
 प्रकरण संख्या :- 368 / 2025

- | | | |
|---------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. गुरदीप सिंह
2. जरनैल सिंह
3. सुखदीप सिंह | } | पि० गुरतेज सिंह जाति समस्त सुथार निवासीगण
भाईरूपा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा (पंजाब) |
|---------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|

-वादीगण

बनाम

- | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. नमदीप कौर
2. गुरमीत कौर
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया | } | पुत्रियां गुरतेज सिंह जाति समस्त सुथार निवासीगण
भाईरूपा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा (पंजाब) |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 16.9.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल अभिभाषक वादी व श्री बन्दुश बिश्नोई अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादी स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि चक नं. 11 एस.बी.एन. के खाता सं. 111/3 व इसी चक 11 एस.बी.एन. के खाता सं. 24/19 ज.सं. 2073-76 व चक नं. 2 एम.एम.के. खाता सं. 14/11 जं.सं. 2071-74 वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर गुरतेज सिंह पुत्र पालासिंह का नाम उक्त वर्णित खातो से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.9.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी संगरिया